


प्ररूप क-3
(व्यष्टिकों के लिये)
प्ररूप 2,3,4 में अनुदत्त अनुज्ञप्ति(यों) के लिए आयुधों के
नवीनीकरण हेतु आवेदन का प्ररूप
(नियम 24 देखें)



1	UIN (16 अंक)																
2	नाम																
3	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम																
4	ईस्वी सन में जन्म की तारीख																
क	अंको में																
ख	शब्दों में																
5	वर्तमान पता																
क	दूरभाष (कार्यालय/निवास)	(कार्या)								(नि)							
ख	मोबाईल नम्बर																
ग	E-MAIL Address																
घ	निकटतम पुलिस थाना																
6	व्यवसाय																
7	कार्यालय कारबार का पता																
अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां और शस्त्र पृष्ठांकन																	
8	अनुज्ञप्ति सं																
9	अवसान की तारीख																
10	क्षेत्र बैद्यता																
11	पृष्ठांकित आयुध	आयुध-1				आयुध-2				आयुध-3							
क	प्रकार:- (रायफल/शॉटगन/हैंडगन/रिवाल्वर एवं पिस्टल)																
ख	बोर कैलिबर																
ग	आयुध संख्यांक																
12	अनुज्ञात गोला बारूद	कार्टेज गन पाउडर/परक"न/कैप्स															

आवेदक की अन्य विशिष्टियां

13 क्या अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक :-				
क	सिद्धदोष हुआ है	हाँ	नहीं	यदि हो तो उसके ब्यौरे <ul style="list-style-type: none"> ● अपराध ● दण्ड
(ख)	शांति और सदाचार बनाए रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन बंधपत क्रियान्वित होने का अदे"ा हुआ है।	हाँ	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> ● यदि हाँ तो उसके ब्यौरे तारीख ● तारीख <p style="text-align: center;">(वह अवधि जिसके लिए बद्ध है।)</p>
(ग)	आयुध अधिनियम 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन आयुध या गोला बारूद रखने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है।	हाँ	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> ● यदि हाँ तो उसके ब्यौरे तारीख ● तारीख <p style="text-align: center;">(वह अवधि जिसके लिए प्रतिषिद्ध किया गया है)</p>
14 क्या :-				
क	अनुज्ञप्ति के पिछले नवीकरण या जारी करने के समय से आवेदक की अनुज्ञप्ति कभी निलंबित या निरस्त/वापस ली गई है।	हाँ	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> ● यदि हाँ तो उसके ब्यौरे ● अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का नाम ● कारण
ख	आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य कोई अन्य आयुध अनुज्ञप्ति रखता है यदि हाँ तो उसकी वि"ष्टियां	हाँ	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> ● यदि हाँ तो उसके ब्यौरे ● नाम ● अनुज्ञप्ति संख्या
ग	आवेदक के पास आयुध और गोलाबारूद रखने के लिए सुरक्षित स्थान है	हाँ	नहीं	<ul style="list-style-type: none"> ● यदि हाँ तो उसके ब्यौरे

घ	आवेदक के नियम 10 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विहित प्रमाण प्राप्त किया है (जब भी केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू करवाया जाए)	हाँ	नहीं	● यदि हाँ तो उसके ब्यौरे

!! घोषणा !!

मैं यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दिए गए उपरोक्त विनिर्देशों मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विवास के साथ सत्य पूर्ण और सही है मुझे ज्ञात है कि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी झूठी या असत्य पाई जाती है तो आयुध अधिनियम 1959 आयुध नियम 2016 और अन्य केन्द्रीय अधिनियमन या तत्समय प्रवृत्त विधि के संबंधित उपबंधों के अधीन मैं मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दायी हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

स्थान
तारीख

टिप्पण :-

छूट प्राप्त खिलाड़ी स्तंभ 11 और 12 के सामने पृथक शीट में उनके द्वारा रखे गए आयुध और गोलाबारूद की सूची संलग्न करेंगे।

:: चेतावनी ::

आयुध नियमों के अतिक्रमण में आवेदन प्ररूप में दी गई किसी तथ्यपूर्ण सूचना या गलत सूचना को छिपाने पर आवेदक आयुध अधिनियम 1959 की धारा 30 के अधीन दण्ड के लिए दायी होगा।

नोट :-

1. शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रत्येक शस्त्र के लिये फीस रूपये 1500.00 चालान द्वारा शासकीय कोष के मद "0055 पुलिस" में जमा कराकर चालान की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. मध्यप्रदेश शासन, की अधिसूचना दिनांक 14.01.2016 के अनुसार शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण हेतु निर्धारित फीस निम्नानुसार है जिसको चालान द्वारा शासकीय कोष के मद " 0030 स्टॉम्प एवं मुद्रांक शुल्क" में जमा कराकर चालान की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

A	पिस्टल/रिवाल्वर हेतु	—	2000.00
B	अवर्जित बोर रायफल/12 बोर/एम.एल.गन हेतु	—	1000.00



कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्ररूप घ-4
पुलिस रिपोर्ट का मानक प्ररूप
(नियम देखें)

प्र.क्रमांक / लाय/9-5/ / /2016

ग्वालियर दिनांक : / /2016

प्रति,

थाना प्रभारी,
थाना _____
जिला ग्वालियर

विषय :- आयुध अनुज्ञप्ति या आयुध अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर (आवेदक के वर्तमान पते के) नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को आयुध अधिनियम 1939 की धारा 13(2) के अधीन रिपोर्ट।

क्रम सं.	विशिष्टियां	संाराश
1	आवेदक का नाम	
2	आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति की प्रकृति	
3	अनुज्ञप्ति सं.	
4	आवेदन का पता	

अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर

टिप्पण :- आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के अपबंधों के अनुसार किसी आवेदन के प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी आवेदन पर नजदीक पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी से रिपोर्ट के लिए बुलाएगा और ऐसा अधिकारी विहित समय के भीतर उसे रिपोर्ट भेजेगा। तदनुसार, 30 दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप में रिपोर्ट भेजी जाएगी।

संलग्न :- संलग्नों के साथ आवेदन प्रारूप (मूल)/नवीकरण प्रारूप की प्रति।

नोट :- आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर पुलिस रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट

1	आवेदक का नाम		
2	पिता /पति पत्नी का नाक		
3	वर्तमान पता		
	वर्तमान पते का नजदीकी पुलिस थाना		
4	क्या आवेदन कभी दोषसिद्ध हुआ है।	हाँ	नहीं
	(क) यदि हाँ अपराध दंडादे"ा और दडादे"ा की तारीख		
	(ख) शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 का 2) के अध्याय 7 के अधीन बंध पत्र के निष्पादन का आदे"ा किया गया है।	हाँ	नहीं
	(ग) किसी अपराध या गोला बारूद उसके पास या ले जाने में अर्जन किए जाने से आयुध अधिनियम 1959 या किसी अन्य विधि के अधीन निषिद्ध किया गया है।	हाँ	नहीं
5	क्या आवेदक का किसी शत्रुता या झगडा है जिससे शांति भंग होने की संभावना है? यदि हाँ, ब्यौरा दीजिए	हाँ	नहीं
6	क्या आवेदक का पता और जन्म तारीख का सत्यापन किया गया है ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
7	क्या आवेदक का व्यवसाय/कारबार का सत्यापन किया गया है ब्यौरा दीजिए।	हाँ	नहीं
8	क्या पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध कोई िकायत रजिस्टर्ड है?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए		
9	क्या आवेदक किसी अपराध में संलिप्त रहा है?	हाँ	नहीं
	यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए		
10	क्या आवेदक किसी अपराध में गिरफ्तार हुआ था।	हाँ	नहीं
	यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए		
11	क्या आवेदक का नाम पुलिस थाने के	हाँ	नहीं

	खराब चरित्र रजिस्टर में सूचीबद्ध है?		
	यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए		
12	क्या आवेदक का नाम भारत सरकार के अन्य विभाग जैसे-सीबीआई,स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय आदि द्वारा किसी मामले में रजिस्टर्ड किया गया है जिसमें पुलिस थाने के दैनिक डायरी रजिस्टर समन वारंट आदि में वर्णित पाया गया है।		
	यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए		
13	क्या आवेदक ने पुलिस थाने में जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई शिकायत रजिस्टर्ड कराई है?		
	यदि हाँ तो ब्यौरा दीजिए		
14	किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक संगठन जिसमें आवेदक सदस्य है का ब्यौरा		

प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने आवेदक द्वारा जमा किए गए आयुध अनुज्ञप्ति दान करने के लिए आवेदन प्रारूप की विषय वस्तुओं को चैक कर लिया है।

तारीख

मोहर

हस्ताक्षर
थाना प्रभारी
पुलिस थाना